



2026 : AHC : 47833

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7176 वर्ष 2026

श्रीमती राज कली देवी उर्फ राज कली विश्वकर्मायाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : हरीश कांत तिवारी, शरद कुमार पटेल

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी गण को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी गण इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील करछना, जिला प्रयागराज को उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(1) के तहत दायर वाद संख्या 13150 वर्ष 2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202502030513150) (श्रीमती राज कली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) को शीघ्रता से तय करने का निर्देश देने की है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. मामला निचली अदालत के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय पहले ही बीत चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील करछना, जिला प्रयागराज को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे उक्त वाद को निचली अदालत के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से कानून के अनुसार सख्ती से और अत्यंत शीघ्रता से, अधिमानतः चार महीने की अवधि के भीतर तय करें, तथा जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दें।

9 मार्च, 2026 पी.पी.

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।